

टाइटल VI

नीति का कथन

सेंट्रल कॉन्ट्रा कोस्टा ट्रांज़िट अथॉरिटी (काउंटी कनेक्शन) सेंट्रल कॉन्ट्रा कोस्टा में अपनी परिवहन सेवाओं तक एकसमान पहुँच प्रदान करती है। काउंटी कनेक्शन अपने व्यवसाय के संचालन में गैर-भेदभाव की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इसकी 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के टाइटल VI (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) के तहत दी गई जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, जो निर्दिष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को, जाति, वर्ण या राष्ट्रीय मूल के आधार पर, इसके ट्रांज़िट (परिवहन) सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में भागीदारी से अलग नहीं किया जाएगा, उसके लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। काउंटी कनेक्शन टाइटल VI प्रोग्राम (कार्यक्रम) के बारे में जानकारी के लिए, countyconnection.com पर जाएँ या 925-676-7500 (TTY 711) पर कॉल करें।

कोई भी व्यक्ति जो यह मानता है कि ट्रांज़िट सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में नस्ल, वर्ण या राष्ट्रीय मूल के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया है, उसे कथित घटना के 180 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। आप नीचे शिकायत फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिए 925-676-7500 (TTY 711) पर कॉल करके अनुरोध कर सकते हैं। एक शिकायतकर्ता नागरिक अधिकार कार्यालय के ध्यान हित, शिकायत दर्ज करके सीधे फ़ेडरल ट्रांज़िट एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत दर्ज कर सकता/सकती है: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

यदि किसी अन्य भाषा में जानकारी चाहिए, तो 925-676-7500 पर संपर्क करें।

टाइटल VI शिकायत प्रक्रिया

यदि आपको लगता है कि ट्रांज़िट सेवाएं देते समय आपके साथ जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का व्यवहार किया गया है, तो आपको अथॉरिटी के नागरिक अधिकारों के प्रशासक के पास टाइटल VI शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। फ़ेडरल तथा स्टेट के कानून अपेक्षा करते हैं कि पिछली कथित घटना के एक सौ अस्सी (180) कैलेंडर दिनों के भीतर शिकायतें दर्ज की जाएं। आप countyconnection.com पर जाकर शिकायत संबंधी फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप ग्राहक सेवा पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको टाइटल VI शिकायत संबंधी फ़ॉर्म डाक द्वारा भेजने के लिए कहें। आप लिखित बयान भी जमा कर सकते हैं, जिसमें नीचे दी गई सारी जानकारी होनी चाहिए। शिकायतें दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए:

County Connection
Director of Recruitment & Employee Development
2477 Arnold Industrial Way
Concord, CA 94520

सभी शिकायतों में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

1. शिकायतकर्ता का नाम, पता और टैलिफोन नंबर।
2. शिकायत का आधार; (जैसे जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल)।
3. जिस तिथि(यों) पर कथित भेदभाव वाली घटना घटी थी।
4. घटना की प्रकृति, जिसमें शिकायतकर्ता को महसूस हुआ भेदभाव का कारक शामिल था।
5. उन व्यक्तियों के नाम, पते और टैलिफोन नंबर, जिन्हें घटना की जानकारी हो सकती है।
6. अन्य एजेंसियाँ या अदालतें, जहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है और एक संपर्क नाम।

**सैंट्रल कौन्ट्रा कौस्टा ट्रांज़िट अथॉरिटी
टाइटल VI शिकायत संबंधी फ़ार्म**

आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू करने के लिए, कृपया निम्नलिखित ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। अनुरोध पर सहायता उपलब्ध है। यह फ़ार्म भरें और दिए गए पते पर डाक से भेजें या इस पते पर दें:
CCCTA Director of Recruitment & Employee Development, 2477 Arnold Industrial Way, Concord, California, 94520.

1) शिकायतकर्ता का नाम: _____

2) पता: _____

3) शहर: _____ स्टेट: _____ ज़िप: _____

4) फोन: घर _____ सैल _____

5) जिस व्यक्ति के साथ पक्षपात हुआ है (यदि शिकायतकर्ता के अलावा कोई और है)

नाम: _____

पता: _____

शहर: _____ स्टेट: _____ ज़िप: _____

6) पक्षपात किस आधार पर हुआ था? (लागू सभी पर निशान लगाएं):

जाति

रंग

राष्ट्रीय मूल

7) पक्षपात के परिणामस्वरूप घटना की तिथि: _____

8) बताएं कि आपके विरुद्ध पक्षपात कैसे हुआ था। क्या हुआ था और कौन ज़िम्मेदार है? अधिक स्थान के लिए कागज़ की अतिरिक्त शीट्स संलग्न करें।

9) क्या आपने यह शिकायत किसी अन्य फ़ैडरल, स्टेट या स्थानीय ऐजंसी को; या फ़ैडरल या स्टेट अदालत को की है? (उपयुक्त स्थान पर निशान लगाएं)

हाँ ____

नहीं ____

यदि उत्तर हाँ, है तो फिर आप उस प्रत्येक ऐजंसी पर निशान लगाएं, जहाँ आपने शिकायत दर्ज की थी:

फ़ैडरल ऐजंसी ____ फ़ैडरल अदालत ____ स्टेट ऐजंसी ____

स्टेट अदालत ____ स्थानीय ऐजंसी ____

10) ऐजंसी के लिए उस संपर्क व्यक्ति संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करें, जिसके पास आपने शिकायत दर्ज कराई है:

नाम: _____

पता: _____

शहर: _____ स्टेट: _____ ज़िप: _____

शिकायत दर्ज करने की तिथि: _____

नीचे दिए गए स्थान में शिकायत पर हस्ताक्षर करें। कोई भी दस्तावेज़ संलग्न करें, जिसके बारे में आपको लगता है कि वह आपकी शिकायत का समर्थन करता है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि